

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान



कमांकः—एफ 5 () एफ.सी.ए / मुवसंज / 2023—24 / 3007—

दिनांक:-0/-06-2023

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए राजस्थान, जयपुर।

विषय:—Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of Pipe line from STP to Along SH-Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/IRRIG/122392/2021 संदर्भ:—राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक प. 1(6)वन/2022 जयपुर, दिनांक 22.02,2022 एवं आपका पत्रांक 786—87 दिनांक 02.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलोच्य प्ररकण में राज्य सरकार के पत्रांक प. 1(6)वन/2022 जयपुर, दिनांक 22.02.2022 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, झुंझुनूं ने पत्रांक 3933 दिनांक 19.05.2023 से प्रेषित की है। उक्त पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है:—

	क.सं.	शर्ते	अनुपालना
100	1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	यूजर एजेंसी की अण्डरटेंकिंग संलग्न है।
	2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेंसी की अण्डरटेंकिंग संलग्न है।
	3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस—पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव—जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी एवं उनके संरक्षण हेत् समस्त उपाय किये जायेगें।	यूजर एजेंसी की अण्डरटेंकिंग संलग्न है।
- Trans	4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षो को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावें। उक्त क्षेत्र में रोपित पेंड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होगे।	यूजर एजसा का अण्डरटाकम सलम्न ह।
	5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/ वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	यूजर एजेंसी की अण्डरटेंकिंग संलग्न है।
	6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टॉफ को रसोई गैस / केरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	यूजर एजेंसी की अण्डरटेंकिंग संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by Mar shool Singh Designation Chief Conservator Of Forest

Date: 2023.06.01 7:14:43 IST

Reason: Approved

100g

RajKaj Ref No.: 3946856

7	प्राप्तिक अधिक मा उपा प्राप्तिक वस अपि के अविधिक	गाना गानेंगी की आसानेंदिय गानान है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त	यूजर एजसा का अन्डस्टाकम सलग्न ह।
	आस—पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान	
	मिट्टी / पत्थर काटनें एवं भरने का कार्य नहीं किया जावेंगा।	
8	Nagar Parishad Jhunjhunu will provide free of cost	यूजर एजेंसी की अण्डरटेंकिंग संलग्न है।
	STP water for the plants of Beed Jhunjhunu	
	Conservation Reserve as per requirement of forest	
	department Jhunjhunu.	यूजर एजेंसी की अण्डरटेंकिंग संलग्न है।
9	The User agency will leave 'T' Points at every	यूजर एजसा का अण्डरटाका सलग्न ह।
	Kilometer of pipeline for getting STP water of the Plants.	
10	Treated water of STP will be used for plants and	यूजर एजेंसी की अण्डरटेंकिंग संलग्न है।
10	nursery in beed Jhunjhunu Conservation Reserve	पूर्वार १वासी यम जन्यस्टायम संसम्भ है।
	(Total Area 1047.48)	
11	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के	एफ.आर.ए. प्रमाण–पत्र संलग्न है।
' '	साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही	(47.01X.), XIII 44 (101-116)
	विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
12	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी	रात्तर एतंसी की अण्डरटेंकिय यंत्रम है।
12	नियम, कानून तथा दिशा—निर्देशों का पालना करेगा।	पूर्वार रुवारा। यम वान्वरटायम राखान वा
13	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10	यूजर एजेंसी द्वारा डिमांड पत्र के अनुरूप
13	वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए कुल
	पातन होने पर पातन किये गये वाले वृक्षो का दस गुना संख्या	धनराशि रूपये 49858/-रू जरिये ई-चालान
	में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया	से दिनांक 05.12.2022 को राजस्थान कैम्पा
	जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को	फण्ड में जमा कराने की रसीद संलग्न
		है। यूजर एजेंसी की अण्डरटेंकिंग संलग्न है।
1	समाहित करते हुये राशि (OSMFWP) (Online Submission &	हि । पूजर १जसा का अण्डस्टाका संसमा है।
	Monitoring of Forest & Wildlife Clerence Portal) द्वारा	
	सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट	यूजर एजेंसी द्वारा डिमांड पत्र के अनुरूप एन. पी.वी. के लिए कुल धनराशि रूपये
	पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या	
	566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007-एफ.सी.	1
	दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.	
1	06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.	करान का रसाद सलग्न है। यूजर एजसा का
	वी.) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन	अण्डरटाकग सलग्न ह।
	तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय में वेबपोर्ट्ल	
	OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराई जायेगी।	
	जिसके उपरान्त ई-चालान की छायाप्रति जमा की गई	€
	धनराशि का बैंक चालान / यूटीआर संख्या / एनईएफटी की	
	छांयाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या	
	(जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की	
	जाए, तदोपरांत विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	100
15	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रत्र	
	प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी की दरों में	
	बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा	
	जमा की जाएगी।	1-
		ionature valid

Digitally signed by Marchool Singh Designation Chief Conservator Of Forest Date: 2023.06.31 7:14:43 IST Reason: Approved

16	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा	यूजर एजेंसी की अण्डरटेंकिंग संलग्न है।
0	किया जा सकेगा।	
17	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.	
1 .	2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को	
	पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा	समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया
	प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अग्रेजी	
	में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः	समाचार पत्रों की एक-एक प्रति संलग्न है।
	प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय,	
	पंचायत एवं नगरपालिका के अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के	
	30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	

संलग्न:--उपरोक्तानुसार (02 मूल सैट)।

भवदीय,

(मनफूल सिंह) मुख्य वन संरक्षक जयपुर

क्रमांक:- एफ 5 () एफ.सी.ए./ मुवसंज/2023-24/ दिनांक:-प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, झुंझुनूं को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

> गुख्य वन संरक्षक जयपुर

Signature yalid

Digitally signed by Marchool Singh Designation, Chie Conservator Of Forest

Date: 2023.06.81, 7:14:43 IST Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3946856

कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनूं

दिनांक:- 19-05-2023

क्रमांक:-एफ()/सर्वे/उवसं./2023-24/3933 मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।

বিষয়:-Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Counicil Jhunjhunu forLaying of Pipe Line From STP to Along SH-8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan) (FP/RJ/IRRIG/122392/2021).

संदर्भ:-राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक प. 1(6)वन/2022 दिनांक 22,02.2022, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर का पत्रांक 786-87 दिनांक 02.03.2022 व मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक 1651 दिनांक 22.03.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के क्रम में निवेदन है कि LAYING PINE LINE FROM STP TO ALONG SH-8 AND SOTI ROAD IN BEED JHUNJHUNU USED BY AGRICULTURAL PROPOSES NEAR BY VILLAGES AT DISTRICT JHUNJHUNU(RAJASTHAN) के निर्माण में आने वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृती में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार पालना हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना में यूजर एजेंसी द्वारा पालना रिपोर्ट अन्तिम स्वीकृति हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में यूजर ऐजेन्सी द्वारा की गयी पालना रिपोर्ट निम्नानुसार संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

Condition No.	Description	Compliance
1 .	वन भूमि की वैधानिक रिथिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।	यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आस—पास के क्षेत्र की वनस्पति एवं जीवजन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाये जायेगे एवं उनके संरक्षण के समस्त उपाय किये जावेगे।	यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले वृक्ष वन विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस—पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कोई कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ के रसोई गैस/केरोशिन तेल का आपूर्ति की जावेगी। ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति ना हो।	यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।

(100 J3/5/2)

1857 D 2018 Survey/survey letter 2018

1 Kal Rof Slic . 3287278

प्राप्ति समावी अप वित्रास्त्र समावी अप

Digitally signed by Rajen a Kumar

Designation : Deput Conservator Of Forest Date: 2023.05.19 :59:43 IST

Date: 2023.05.19 :5 Reason: Approved

Signature

Condition No.	Description	Compliance
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस—पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	
8	Nagar Parishad Jhunjhunu will provide free of cost STP water for the plants and Nursery of Beed Jhunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Jhunjhunu.	यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता सलग्न है
9	The User agency will leave 'T' Points at every Kilometer of pipeline for getting STP water of the plants.	यूजर ऐजेन्सी की यचनबद्धता संलग्न है
10	Treated water of STP will be used for plants and nursery in Beed Jhunjhunu Conservation Reserve (1047.48 ha).	यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है
11	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेंगा।	एफंआरए प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है
7 7 7 7	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेब पोर्टल DSMFWP (online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित चालान द्वारा जमा ही जयेगी।	यूजर ऐजेन्सी द्वारा डिमांड पत्र व अनुरूप क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए कु धनराशि रूपये 49858/-रु. जरी ई-चालान से दिनांक: 05.12.2022 व राजस्थान कैम्पा फण्ड में जमा कराने व रसीद संलग्न है। यूजर ऐजेन्सी व वचनबद्धता संलग्न है।
ि 5 ए 1 3 ए व नि दे रि हिं	गादेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन.पी.वी. की निर्धारित	यूजर ऐजेन्सी द्वारा डिमांड पत्र वे अनुरूप एन.पी.वी. के लिए कुल धनरारि रूपये 663359/-रु. जरीये ई-चालान से दिनांक: 05.12.2022 को राजस्थान कैम्पा फण्ड में जमा कराने की ई-चालान की रसीद संलग्न है। यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।

RajKaj. Ref No.: 3287278

Hudda
Designation: Deputy Onservator Of Forest
Date: 2023.05.19 4:59:43 IST
Reason: Approved



Condition No.	Description	Compliance	
15	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवायी जावेगी।		
16	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	यूजर ऐजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न है।	
17	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24. 07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11. 2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करायें।	जारी स्वीकृति को यूजर ऐजैसी अंग्रेजी व हिन्दी में प्रकाशित होनें वाले एक एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है समाचार पत्रों की एक - एक प्रति संलग्न है।	

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा) उप वन संरक्षक, झुन्झुनूं दिनांक:–

क्रमांक :-एफ()सर्वे / उवसझु / 2023-24 /

प्रतिलिपि-अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए, अरण्य भवन, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।

> (राजेन्द्र कुमार हुड्डा) उप वन संरक्षक, झुन्झुनूं

Signature yalid

Digitally signed by Rajen a Kumar Hudda
Designation Debuty Conservator Of Forest Date: 2023.05.194 :59:43 IST Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 3287278



श्रीमान उप वन संरक्षक, झुन्झुनू

विषय :- Compliance Report For Diversion of 0.6926 Ha. forest land in favour of MUNICIPAL COUNCIL JHUNJHUNU for "Laying of Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/IRRIG/122392/2021

संदर्भ:— वन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर पत्रांक प.1(6) वन/2022 जयपुर दिनांक 22.02.2022 महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है नगर परिषद, झुन्झुनू द्वारा वन एवं कृषि के लिए एस.टी.पी. उपचारित पानी के पुनः उपयोग के लिए बीड़ क्षेत्र में यू.पी.वी.सी. पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6926 हैक्ट. वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:—

क्र. सं.	शर्त	पालना
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस—पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस—पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसाई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसाई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
V.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	Nagar Parishad Jhunjhunu will provide free of cost STP water for the plants of Beed Jhunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Jhunjhunu.	नगर परिषद झुंझुनू वन विभाग झुंझुनू की आवश्यकता के अनुसार बीड झुंझुनू संरक्षण रिजर्व के पौधों के लिए निःशुल्क एसटीपी पानी प्रदान करने हेतु सहमत है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	The User agency will leaver 'T' Point at every Kilometer of pipeline for getting STP water of the Plants.	प्रयोक्ता एजेंसी संयंत्रों के एसटीपी जल प्राप्त करने के लिए पाइपलाइन के प्रत्येक किलोमीटर पर ''टी'' प्वाइंट छोड़ने हेतु सहमति प्रदान करती है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
10.	Treated water of STP will be used for plants and nursery in Beed Jhunjhunu Conservation Reserve (Total Area 1047.47 ha.)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बीड झुंझुनू संरक्षण रिजर्व (कुल क्षेत्रफल 1047.47 हेक्टेयर) में पौधों और नर्सरी के लिए एसटीपी के उपचारित पानी का उपयोग किया जाएगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

सहायक वन परक्षक

2000

रिहुल निर्मिट्या अधिशायी अभियता नगर परिवद, झझन

1 वर्ष वर्ष वर्ष स्टब्स्

11.	प्रयोक्तः अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
12.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपार्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई—चालन द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव (क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण) हेतु आवश्यक धनराशि रू. 49,858/— UTR. NO. BARB22339072001 DT. 05.12.2022 के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
14.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र	यूजर ऐजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई—चालान जमा करायी गयी है। विवरण नियमानुसार है:-
0	12—2/2010—CAMPA दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12—2/2010—CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई—चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई—चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	रू. 6,63,359/— UTR. NO. BARB22339072001 DT. 05.12.2022 के कैम्पा नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जमा करवायी गई धनराशि के चालान की छाया प्रतिलिपि पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
16.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमित का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
17.	भारत सरकार के पत्रांक 7—23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक—एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतिया संलग्न है।

Place: Jhunjhunu




BOJSN

Name: Office Sear & Signature: Designation म परिषद, सुसून

Jy

2 of 2 | Pag e







क्रमांकः प. 1 (6) वन / 2022 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक:- 2 2 FEB 2022

विषय:-Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan) (FP/RJ/IRRIG/122392/2021)

संदर्ग:-आपका पत्रांक एफ 14 (466/40)2021 / एफसीए / प्रमुवस / 3680 दिनांक 16.12.2021 महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद झन्झन द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन और कृषि के लिए एस.टी.पी उपचारित पानी के पूनः उपयोग के लिए श्रीड क्षेत्र में यू.पी.वी.सी पाईप र्लान बिछान् हेत् 0.6926 हेक्टयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तूत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा–2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा–निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of Pipe Line From STP to Along SH 8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan) की सैद्वान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती 춤:-

- 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- 2. प्रत्यावर्तित वन भिम का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतू समस्त उपाय किये जावेगें।
- 4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वक्षो वन विभाग की बिना पूर्वानमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे।
- 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिटटी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
- 8. Nagar Parishad Jhunjhunu will provide free of cost STP water for the plants of Beed Jhunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Jhunjhunu.
- 9. The User agency will leave 'T' Points at every Kilometer of pipeline for getting STP water of the Plants.
- 10. Treated water of STP will be used for plants and nursery in beed Jhunjhunu Conservation Reserve (Total Area 1047.48 ha.)
- 11. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिर्फिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

कार्यालय पता:- वन क्रिक्सिए) कोर्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उन्तरी पश्चिमी भवन, राजियानय, राजियान प्राप्ति प्राप्ति स्वापा संख्या- 0141-2227762

Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in







- 13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सुजित ई—चालान द्वारा जमा की जायेगी।
- 14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बेवपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- 15. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
- 16. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- 17. भारत सरकार के पत्रांक 7—23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07. 11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक—एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बी. प्रवीण) शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक—वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली—110003

 उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी—ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।

- 3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
- मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
- उप वन संरक्षक, झुन्झुनूं।
- 6. अधिशाषी अधिकारी,, नगर परिषद, झुन्झुनू, रोड ज. 1, कलेक्ट्रेट सर्कल के पास, झुन्झुनूं-333001
- 7. रक्षित पत्रावली।

सहायक वन संरक्षक संहायक वन संरक्षक

BOJIN

गहुल पाटिया अधिशाषी अभियता नगर परिषद्, झुझुनू (लखन सिंह) विशेषाधिकारी

CN 1

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी पश्चिमी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762

Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

गुगुर 🕭

कार्यालय उप वन संरक्षक, झुंझुनूं

क्रमांक :-एफ()सर्वे / उवसङ्ग / 2022-23 / २५२२० अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद, इांझुनूं।

दिगांक:- 29/11/22

विषय:—Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Counicil Jhunjhunu forLaying of Pipe Line From STP to Along SH-8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan) (FP/RJ/IRRIG/122392/2021).

संदर्भ:—राज्य सरकार का पत्रांक प. 1(6)वन/2022 दिनांक 22.02.2022, एवं अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी एफरीए राजस्थान जयपुर का पत्रांक 786—87 दिनांक 02.03.2022 व मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक 1651 दिनांक 22.03.2022 के क्रम में।

महोदय.

उपरोवत विषयान्तर्गत संदर्भित के क्रम में निवेदन है कि आप द्वारा LAYING PINE LINE FROM STP TO ALONG SH-8 AND SOTI ROAD IN BEED JHUNJHUNU USED BY AGRICULTURAL PROPOSES NEAR BY VILLAGES AT DISTRICT JHUNJHUNU(RAJASTHAN) के निर्माण में आने वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है। वन भूमि के 0.6926 हैवटर वनभूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृती में वर्णित शर्तों की विन्दुवार पालना हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही आलोच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृती प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं होने देना सुनिश्चित करें अन्यथा आप व्यक्तिशः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दोषी होगें। सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति दो दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अग्रेजी) में प्रकाशित करवा कर स्वीकृति में वर्णित अधिरोपित शर्तों की निम्नानुसार बिन्दुवार पालना आपके द्वारा अपेक्षित है:—

1. शर्त सं0 1 की पालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

2 शर्त सं0 2 की पालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पति एवं जीवजन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाये जायेगे एवं उनके संरक्षण के समस्त उपाय किये जावेगे। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले वृक्ष वन विभाग की पूर्वानुमित के विना नहीं काट। जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। इस आशय का वचन बद्धता प्रभाण पत्र प्रस्तुत करें।


5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित रथल / वन क्षेत्र के आस-पास गजातूरों / १८१७ के लिए किसी भी पकार का कोई कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।


6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान रथल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ के रसोई गैरा / केरोशिन तेल का आपूर्ति की जावेगी। ताकि निकटवर्ती वनों को क्षिति ना हो। इस आशंय का वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित बन भूमि के अतिरिवत आस—पास की यन भूमि से/पर निर्भाण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं विज्ञ्या जावेगा। इस आशय का वत्तन वद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।









- 8- Nagar Parishad Thunjhunu will provide free of cost STP water for the plants and Nursary of Beed Thunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Thunjhunu. इस आशय का वचन कदला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।
- 9- The User agency will leave 'T' Points at every. Kilometer of pipeline for getting 5TP water of the plants. इस आशय का वसन यसता प्रमाण एउ प्रस्तुत करें।
- 10- Treated water of STP will be used for plants and nursery in Beed Thunjhunu Conservation Reserve (1047.48 ha). इस आश्रम का गमन कहता प्रमाण पन प्रस्तुत करें।
- 11. प्रयोक्ता अभिकरण, रौद्वान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफआरए पश्चिक र पश्चार का अपन नवीपमन्त ही विधिवत स्वीकृति पर विधार किया जावेगा। नगरपालिका एवं छपखण्ड अधिकारी जुड़ानु नवमण्ड दनश्रम कमेटी से प्रस्ताय का अनुगोदन करवाकर जिला स्तरीय कमेटी से एफआरए सर्टिकिकेट जारी करवाकर पूल एफआरए सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें।
- 12. शर्त सं0 12 की पालना में प्रयोगता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में गोजना पर लागू सभी निमम् कानून सभा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस आशय का वचन कदता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 13. शर्त सं0 13 की पालना में 0 से 10 वृक्षों के कार्ट जाने के एवज में 100 वृक्षा के वृक्षाणवण हेतु सिश्च क 49858/- वेव पोर्टल OSMFWP (online submission & monitoring of forces & wildlife clearance portal) सुजित ई-चालान द्वारा सीधे ही जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।
- 14. शर्त सं0 14 की पालना में एन.पी.वी. की Eco class 3 के लिए क्षेत्र बीछ धुंझुमूं कंजर्वशन निर्नारित वर 957780 के हिसाब से 0.6926x957780 ≈663359 रू. का भुगतान वेब पोर्टल OSMFWP (online submission & monitoring of forest & wildlife clearance portal) द्वारा सृजित ई—चालान द्वारा सीधे ही जगा कराकर भालान प्रति प्रस्तुत करें।
- 15. शर्त सं0 15 की पालना में यदि एन.पी.वी. की दशें में बढ़ोत्तरी होती तो बढ़ी हुई घन साथ प्रयोवता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवायी जावेगी। इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण पन प्रस्तुत करें।
- 16. शर्त सं0 16 की पालना में राज्य रास्कार द्वारा की गई इस अनुमति का प्रवोधन संवंक्ति क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।
- 17. शर्त सं0 17 की पालना में भारत रारकार के प्रत्रांक 7–23/2012/एफरी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रियूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी रवीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समावार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें।

(राजोन्स सुनार सुन्हुखा) उप रान पांस्थक टिलामनं

Rain 29/11/22


क्रमांक :-एफ()सर्व / उवसङ्घ / 2022-23 / २५२-२ । - २५ प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाधी धेतु प्रेपित है-

- 1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं गोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जमपुर।
- मुख्य वन संरक्षकः, जयपुर।
- 3. आयुक्त, नगर परिषद, झुंझुनू।
- 4. सहायक वन संरक्षक, झुंझुन्।
- 5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, ड्रांड्रान्।



ROJIN

यहुल भीटिया अधिशाषी अभियता नगर परिषद, झुझूनू (राजेन्स अनार हुउडा) उप वन संरक्षक,



फार्म स 109

काम स 109						
💌 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बक						
शाखाः 🔟	Ollect - In 5/12/2022					
दिनांक :	5 112 2022					
आधार शाखा						
खाता सं. 4	4860100012					
खाताधारक क	ानामः Municipa					
Coun	ci/ Thunthuna					
आरटीजीएस/	एनईएफटी-के पक्ष में :					
बैक {	Inion bank of In					
शास - Benga/well						
आईएफएस को	आईएफएस कोंड: - URIN099633					
लानार्थी का ख	ाता मं:-15085571223 924					
लामार्थी के ख						
लामार्थी का न	R -					
RA:	TASTHAN CAMPA					
	पशि (१)					
विग्रेषण की राशि	7,13,217.00					
ਹਿਜਿਸਧ						

विभ्रेषण की 7,13,217- क विनिमय कुल 7,13,217- क

भाग (भाग में) स्मान त्यारव तर्ह डिजार दो सा क्षेत्ररह रनपण मात्र-

वलकं / कॅशिपच

नगराधिकारीससन्

(येक बसूली के अधीन)

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/R[/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू** द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

Name: Office Sealed प्रदिया Designation आभयता नगर परिषद, झझन

सहावक वन संस्था विकास

राजन्त्र क्रियार हुद्धा उप वन संरक्षक. इंग्रुनूं

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू** द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

Name: यहुल भाटिया Office Senland ignature: Designation विश्विद्या झझन

्राच्या संरक्षिक संस्था

00551V

ए। जन संरक्षक, जुज़र्ते

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षिति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

Name: गहल भाटिया Office Seal & Signature Designation:

यक वन संरक्षक झुंझुनूं DOJJ!

राजेन्द्र के इंड्डा उप वन संरक्षक, गुंडान्द्र के

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू** द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमित के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें। इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

सहायक वन संरक्षक झुंझुनूं

possin

Name: Office Seal & Signature: Designation!पा आभयता नगर परिषद, झझन

राजेन्द्र वहार हुए हा उप वर्ग सरक्षक, ग्रंशुर्

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू** द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस—पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

सहायक वन संरक्षक शृंशुनूं

ROSIN

Name: गहुल भाटिया
Office Seal क्राजी प्रविद्यान ::
Designation प्राचित सम्बद्ध

राजेन्द्र कुमार हुड्डा उप वन संरक्षक.

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू** द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसाई गैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेत् वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

सहायक वन संरक्षक कर्

Name: गहुल भाटिया Office Sgal किंद्धिकार्यापाट: Designation प्रियद, झुझन

राजेन्द्र व्याप्त अवश्री उप वन संरक्षक,

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू** द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस—पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

सहायक वर्न संरक्षक **शंशन्ं**

ROSIN

Name: सहल भारिया
Office अध्योजी आधारमा

राजेन्द्र दुनार दुन्डा उप वन संरक्षक, अञ्चन

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू द्वारा सहमित प्रदान की जाती है कि वन विभाग झुंझुनू की आवश्यकता के अनुसार बीड झुंझुनू संरक्षण रिजर्व के पौधों के लिए निःशुल्क एसटीपी पानी प्रदान किया जावेगा। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

सहायक यन संरक्षक

OSN

Name: गहल भाटिया Office Seal & Signature: Designation:

राजन्त्र प्र उप वन संस्थक, अंड्रुनू

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू** द्वारा सहमित प्रदान की जाती है कि प्रयोक्ता एजेंसी संयंत्रों के एसटीपी जल प्राप्त करने के लिए पाइपलाइन के प्रत्येक किलोमीटर पर "टी" प्वाइंट छोड़े जावेगें। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

प्रहायक वन संरक्षक शृंशुनुं

DOS ŚN

Name: Office Seas & Signature: Designation जानवती नगर परिषद, झड़ान्

राजेन्द्र कुमार हुउड़ा उप वन संरक्षक, इंझुनूं

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू** द्वारा सहमति प्रदान की जाती है कि बीड झुंझुनू संरक्षण रिजर्व (कुल क्षेत्रफल 1047.47 हेक्टेयर) में पौधों और नर्सरी के लिए एसटीपी के उपचारित पानी का उपयोग किया जाएगा। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

सहायक वन संरक्षक संहायक

POJÍN

Name:
Office Star क्षाईस्मावस्याः
Designationसी अभियता

राजेन्द्र कुन्रिर हुउडा उप वन संरक्षक.

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुन्झुनू** द्वारा "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" हेतु वनाधिकार प्रमाण पत्र मूल ही पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया है। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

सहायक वन संरक्षक शृंशनूं

2055N

Name: गहुल भाटिया Office Seal के जीपुमर्वाधाः Designation

राजेन्द्र कुमार हुउंडा उप वन सरक्षक, शुंझुनूं

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू द्वारा वचन दिया जाता है कि विभाग द्वारा जारी वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

Name: Alect Allecture: Office Seal & Signature: Designation:

्रि) सहायक वन **संरक्षक** श्रंशुनूं

Q5J&N

राजेन्द्र कुमार हुद्डा उप वन संस्थक, इंड्रान्

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू द्वारा वचन दिया जाता है कि "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपार्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई—चालन द्वारा राशि कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है, इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

सहायक वन संरक्षक शंसनं होरोर्ग Name: Office Seal & Signature: Designation:अभियंता नगर परिषद, झुझून्



Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुन्झुनू द्वारा वचन दिया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12—2/2010—CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई—चालन द्वारा कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है, इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

12N

Name: सहुल पाटिया Office <u>Seal की शिक्ष</u>ाature:

Designation:

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू** द्वारा वचन दिया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

Name: राहुल भादिया Office SampanSignature: Designationतिषद, झड़ान्

सहायक वन संर**क्षक संस**ृं

गाजेन्य कुमारे है

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुन्झुन् द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमित का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

Name: राहल Office See

Full Title of the Project: "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti

Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by

Villages, District-Jhunjhunu (Rajasthan)"

Proposal No

: FP/RJ/IRRIG/122392/2021

Date of Proposal

: 12.02.2021

Proposed Diversion Area: 0.6926 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद्, झुन्झुनू** द्वारा वचन दिया जाता है कि "Laying of Under Ground Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Irrigation Proposes Near by Villages, DistrictJhunjhunu (Rajasthan)" हेतु जारी सैंद्वान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक—एक समाचार पत्र में अक्षरश प्रकाशित करवा दिया है तथा समाचार पत्र पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है। इस हेतु वचनबद्ध है।

Place: Jhunjhunu

Date:

Name: राहुल भाटिया Office Seal & Sign Heising आमय Designation: नगर परिषद्, झुझु

सहायक वन संरक्षक झंझनूं

राजेन्द्र कुमार हुड्डा उप वन संरक्षक, अप वन संरक्षक,

FORM-I

(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Jhunjhunu

No 19 198

Dited ... 23 63 123

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Emvironment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of ettlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest Dwellers (recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.6926 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of XEN Nagar Parishad Jhunjhunu for Laying Of Pipeline From STP to Along SH-8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Purposes Near By Village at District-Jhunjhunu (Rajasthan) (EP/RJ/IRRIG/122392/2021) in JHUNJHUNU district falls within jurisdiction in Jhunjhunu tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.6926 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the forest rights committee(s), nagar parishad (s), sub-division level committee(s) and the district level committee are enclosed as Annexure I to Annexure III
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the nagar parishad have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and peragricultural communities.

Encls: As above.

सहायक वन संरक्ष**क** झंझनूं RODN

सहुल भाटिया अधिशाषी अभियता नगर परिषद्, झुझुनू (Laxman Singh Kuri)
District Collector,
Jhunjhunu

राजेन्द्र कुन्न हुडडा उप वन संरक्षक, ड्रांश्चर्य

कार्यालय नगर परिषद झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक / 2022-23 / / 0 5 /

दिनांक- 14.02.202

14.02.2023

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.01.2023 (एफ.आर.ए. प्रमाण–पत्र)

झुन्झुनू नगर परिषद द्वारा बगड़ रोड़ पर निर्मित एस.टी.पी. से शोधित पानी को कृषि कार्य हेतु पुनः उपयोग के लिए बिड़ क्षेत्र में पाईप लाईन बिछाने 0.6926 है. वन भूमि के लिए एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र के लिए सभापित नगर परिषद झुन्झुनू की अध्यक्षता में उक्त बैठक आहुत की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवगत करवाया की परिषद झुन्झुनू क्षेत्र में अनुसुचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी समुदाय/व्यक्ति उक्त अधिनियम /नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता रखता हो निवास नहीं कर रहा है ओर न ही इस प्रकार का कोई आवेदन लिम्बत है।

अतः बैठक में उपस्थित समस्त कमेठी सदस्यों द्वारा नगर परिषद झुन्झुनू को पाईप लाईन बिछाने के लिए एफ.आर.ए. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतू अभिशंषा की गई।

राजेन्द्र कुमीर होड्डा उप वन संरक्षक. इंडुन् अल्लाका क्यां सामक अल्लाका क्यां का का क्यां का का क्यां का का क्यां का का क्यां का का क्यां का क्यां

विमला वेसीवाल

्तगमा बाना) सभापति नगर परिषद् ज्ञान्सन्

तृ हिना कौरार हिना कौरार पार्षद्वार्ड न 16

HIDE

E:\XEN\Hindi sh 4.docx110

साकीस पार्षेद, वार्ड नं. 17 प्राप्त परिचर, इंग्रहनं (राज.)

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 15.12.2022 (एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र)

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू के पत्रांक 876 दिनांक 08.12.2022 के अनुसार झुन्झुनू नगर परिषद द्वारा बगड़ रोड़ पर निर्मित एस.टी.पी. से शोधित पानी को कृषि कार्य हेतु पुनः उपयोग के लिए बिड़ क्षेत्र में पाईप लाईन बिछाने 0.6926 है. वन भूमि के लिए एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू की अध्यक्षता में उक्त बैठक आहुत की गई। बैठक में उपस्थित क्षेत्रिय वन अधिकारी झुन्झुनू ने अवगत करवाया की उप खण्ड झुन्झुनू राज. मे अनुसुचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी समुदाय व्यक्ति उक्त अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता रखता हो निवास नहीं कर रहा है और न ही इस प्रकार का कोई आवेदन लम्बित है।

अतः बैठक में उपस्थित समस्त कमेठी सदस्यों द्वारा नगर परिषद झुन्झुनू को पाईप लाईन बिछाने के लिए एफ.आर.ए. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अभिशंषा की गई।

स्त्रेन्द्र श्रमी क्षेत्रीय वन अधिकारी झुन्झुनू

तहसीलदार झुन्झुनू

विकास अधिकारी पंचायत समिति झुन्झुनू (दलीप पुनिया) आयुक्त नगर परिषद झुन्झुनू

सहुल भाटिया अधिशाषी अभियता नगर परिषद्, झुझुन



राजेन्द्र कुमार हुड्डा उप वन संरक्षक, झुंझुनूं (शैलेश खैरवा) RAS उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

कार्यालय जिला कलक्टर झुन्झुन् (राज.)

क्रमांक / 2022-23 / / 93 / 2

दिनांक-3/63/23

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.03.2023 (एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र)

झन्झन् नगर परिषद द्वारा बगड रोड पर निर्मित एस.टी.पी. से शोधित पानी को कृषि कार्य हेत् पनः उपयोग के लिए बिड क्षेत्र में पाईप लाईन बिछाने हेत् 0.6926 है. वन भूमि के लिए एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। जिसके सम्बन्ध में जिला कलक्टर की अध्यक्ष्ता में उक्त बैठक आहुत की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यो द्वारा उप खण्ड अधिकारी एवं नगर परिषद सभापति की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया उक्त बैठक में की गई अभिशंषा एवं कार्यालय रिकोर्ड अनुसार उक्त वन क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी समुदाय / व्यक्ति उक्त अधिनियम / नियमों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतू उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता रखता हो निवास नहीं कर रहा है ओर न ही इस प्रकार का कोई आवेदन लिखत है।

अतः बैठक में उपस्थित समस्त कमेठी सदस्यों द्वारा नगर परिषद झुन्झुनू को पाईप लाईन बिछाने के लिए एफ.आर.ए. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेत् अभिशंषा की गई।

आयुक्त

नगर परिषद झुन्झुनू

उप वन सरक्षक

उप वन संरक्षक

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुन्झुनू

> (लक्ष्मण सिंह कड़ी) जिला कलक्टर, झुन्झुनू

अधिशाषी अभियता नगर परिषद्, झुझुनू

E:\XEN\Hindi sh 4.docx163

M JAIPUR | SATURDAY, DECEMBER 10, 2022 | Pages 12 | ₹3.00 | RNI NO. RAJENG/2019/77764 | Vol 4 | Issue No. 184

MODI UNLIKELY ANNUAL SUMMIT

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi , is unlikely to travel to Russia this year for an annual bilateral summit between the two countries, sources said. The G20 summit in Bali was PM Modi's last visit abroad this year.

G20: PM CHAIRS MEET WITH GUVs, CMs, LGs New Delhi: PM Narendra Modi on Filday chaired à VC of Guvs, CMs, and LGs of UTs to discuss aspects relating to India's G20 presidency. PM said G20 belongs to entire nation, is a unique opportunity to showcase country's strengths. P8

DIER STITUTES TAIPUR MENUDELIE E MUMBAL - RSE SENSEY 62 181 67 (\$ 389 01 LNSE MIETY 18 496 60 (\$ 112 75

ALERT IN SOUTH

Chennai: Northern coastal Tamil Nadu witnessed light to moderate rainfall and some places heavy showers as the cyclonic storm 'Mandous' continued to move further closer to the State's coastline, and it is set to cross the coast near starting mldnight, the IMD said on Friday A holiday has been declared for schools and colleges in schools and colleges in Chennal, and other districts including Vel-lore, Villupuram, Cud-dalore, Ranipet, Tiru-vallur, Chengalpattu, and Kancheepuram on Saturday due to rain forecast. Late Friday Mandous was 90km SE

CYCLONE MANDOUS GIRDING UP LOINS FOR THE WORST!



- At least 10 flights can-celled in Chennal due to the Cyclone Mandous
- Mandous brings heavy and colleges shut loday · Chennal Division of the
- Southern Rallway says trains may be cancelled
- Landfall near Mamai-lapuram on late Friday and loday morning



PARLIAMENT WINTER SESSION

Bill related to Uniform Civil Code passed in RS

Opposition move to block Uniform Civil Code bill rejected

First India Bureau

New Delbi: A controversial private member's Bill that seeks to provide for a panel to prepare a
Uniform Civil Code was
Introduced in the Rajya
Sabha on Friday. "The
Uniform Civil Code in India Bill, 2020' was introduced amid protests

from Opposition parties.

BJP MP Kirodi Lal

Meena moved for leave
to introduce the Bill to provide for the constitution of nat'l inspection and investigation com-mittee for preparation of a UCC and its implementation throughout India and for matters connect ed therewith during the pvt member's business. Congress, CPI, CPI(M),

TMC protested against introduction of Bill say ing it will "destroy" the social fabric and unity in diversity in country.

A private member bill to regulate appt of judges through Nation-al Judicial Commission was introduced in RS by CPI(M)'s Bikash Ranian Bhattacharyya hut AAP MP Raghav Chad

The National Judicial Commission Bill introduced in Rajya Sabha, AAP opposes

Both the Parliament houses adjourned till 11am on December 12



BILL PASSED WITH 63 VOTES With the Opposition members seeking withdrawal of the Bill, Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar called for division and the motion for introduction of the Bill was passed with 63 votes in favour and 23 against it.

WHAT IS THE BILL ABOUT? Bill envisages a collection of laws to protect the personal rights of all cilizens without considering religion. To become a law, a private member's Bill needs to be endorsed by the government and cleared in both Houses of the Pari.



SC dismisses plea seeking disclosure of 2018 Collegium meeting details

New Delbi: The SC on Friday dismissed a plea seeking disclosure of the details of a collegi-um meeting held on De-cember 12, 2018 under the Right to Information Act, underlining a "tentative decision" of the multi-member body cannot be brought in the public domain.

A hench of Justices MR Shah and CT Ravi-kumar said only resolu-tions drawn and signed by all Collegium members can be said to be a final decision. Tentative resolutions drawn upon discussion and consultation among the mem bers cannot be said to be final unless they are signed by all of them, it said. SC said it cannot place reliance on re-ports & interview of a former mem-ber of Collegium and it

doesn't want to made by forCOLLEGIUM APPROVES APPT OF THREE ADDL JUDGES AS PERMANENT JUDGES

ADUL JUDIGES AS FERMINATENT JUDIGES
THE SC Collegium headed by CJI DV Chandrachud on
Friday approved the proposal for appointment of three
Additional Judges as Permanent Judges in the Kerala
High Court. The 2 Additional Judges whose names have
been approved are Justices Abdul Rahim Musaliar Badhandeen, Viju Abraham and Mohammed Nias CP:

LONG BAIL HEARINGS A WASTE IT SHOULON'T EXCEED 10 MINS

Justice Sanjay Kishan Kaul, sentor-most judge of SC after Cul, on Friday disapproved of practice of filing lengthy ball applications and arguing "as if a final conviction has already taken place." Ball application should be of Spages, arguments should not of Spages, arguments should not exceed 10 minutes, Justice Kaul said,

'Shraddha had been alive if cops acted...'



Mumbai (FIB): Vikas Walkar; father of Shraddha Walkar on Friday met Maharashtra depu-ty CM Devendra Fad-navis Later, he claimed his daughter would have been alive had Maha cops acted on a written plaint by her. She had written a letter in 2020 indicating her fears about being killed by Aaftab. He said that Fadnavis assured him that he will get justice.

Congress high command to decide Himachal CM

A one-line resolution was passed in the CLP meeting that the party high command will decide next CM in HP

First India Bureau

New Delhi: The Himachal Pradesh Con-gress legislature party, which met on Friday, has decided that the next chief minister of the state will be decided by the party high com-mand, MLA Sundar Thakur told media.

According to Thakur, a one-line resolution was passed in the legis-lature party meeting in



Prat Wa Singh

Shimla that the Congress high command will decide the next chief minister

State Congress chief Pratibha Singh, former party chief Sukhwinder Singh Sukhu and out going legislature party leader Mukesh Agni-hotri are among the top contenders for the post

READ RESCUE OPS ENTER 60 HRS TO SAVE 8-YR-OLO BOY STUCK IN BOREWELL

BOY STUCK IN BOREWELL
Betul: The rescue operation
to save eight-year-old
Tanmay Sahu who fell into
a 400-test deep borewell
in Manday village of MP's
Betul district, surpassed 50
hours on Friday. The boy
tell into the borewell while
playing on December 6. SC NOTICE TO CENTRE ON AGE OF MARRIAGE FOR MUSLIM GIRLS

FOR MUSLIM GIRLS
New Delhit The SC on Fiday issued nolice to the Centre and a patition-liked by National Commission for Women (NCW) to make the miximum age of marriage for Muslim girls the same as that of persons belonging to either religions.

CELEBRATING 76TH BIRTHDAY OF SONIA GANDHI

Gandhis sight tigress Sultana at Ranthambore National Park

Sauddin Khan and Sanderp Goyal Sanderp Goyal Sanderp Goyal President of Congress Sonia Gandhi visited Ranthambore National Park along with her family on her 76th birthday on on her 76th birthday on Friday

During the evening safari in the park on Friday, they were informed about a possible tiger sighting at Mishradarrah in the at park and the family

reached the spot where

According to sources on Thursday late at the hotel, Sonia celebrated her birthday along with Rahul, Priyanka, Rob-ert Vadra and other family members

On Friday, Sonia and Priyanka Gandhi had reached Dastkar Kend-ra and spent more than 20 minutes there. They purchased some handi-craft items and jacket for Rahul Gandhi



Sonia Gandhi, Rahul Gandhi & others during safari at Rantha Nat'l Park on Friday. Priyat la Gandhi and Robert Vadra also i

SHERGARM GYLINDER EXPLOSION INCIDENT: TOLL RISES TO 7

Gehlot directs to provide best possible \(\big| \) med aid, says govt stands with victims

CM Gehlot inquires about well being of victims, announces assistance of ₹7 lakh each to the relatives of the deceased and ₹1 lakh to the injured

Raisey Gaur and Shiv Prakash Purchit

Jodhpur: Chief Minister Ashok Gehlot reached the Mahatma Gandhi Hospital in Jodhpur on Friday and inquired about the well being the Injured in the gas cylinder acci-

ment CM instructed the doctors for proper treat-ment of the injured. He told that a special team of doctors has left from Jaipur for better treat ment of those injured.

The CM termed the

accident as heartbeing of the unuantities of the gas children o



Ashok Gehlot meets the injured and inquires about the health at the Mahatma Gandhi Hospital in Jodhour on Friday

have been made for all possible treat-ment of the injured. The topmost priority at

this time is to save each and every injured per-son and no stone will be left unturned in this direction. More on P3

नगर परिषद, अझन



State making provisions for farmers' welfare through agri budget: Gehlot

Naresh Sharma & Dr Rituraj Sharma

Jaipur: The State gov-ernment is trying its best to make necessary provisions for the pros perity of farmers and animal rearers through the state's first-ever agriculture budget CM Ashok Gehlot said on Friday. The state govern-ment has taken a his-

toric decision of bring ing a separate agricul ture budget which will be presented every year to give maximum



CM Ashok Gehlot, Lal Chand Kataria, Mahenderjeet Singh Malviya, Govind Shanna Ni Kuldeep Banka, and Akhil Arora duding the pre-budget dialogue meeting held at CMO on Friday

benefits to the far mers. he said while address ing a pre-budget diawith farmers bearers of dairy unions and representatives of tribal areas at the CM Office Geblot

important for a demo cratic government and will be incorporated in the agriculture budget.

WILL TAKE CARE OF WELFARE OF FARMERS & CATTLE HERDERS: CM

The CM said that agriculture, animal husbandry and allied sectors are the pillars of the state's GDP and deconomy. "The state government is trying us thest to make necessary provisions for the prosperity of farmers and animal rearers of the state through this budget. We are trying our best to make such provisions in the budget, which will increase the income of the farmers and animal herders of the state and make them happy," Gelifot said in the meeting.

Our government has implemented a scheme to meet the energy requirements of the farmers by installing solar puncts in the fields to benefit them.

HC orders protection to live-in couple

Jodhnur: The High Court ordered police pro-tection to a man and his girlfriend living in livein relationship. Manisha and Dinesh Chauhan, residents of Jodhpur, had filed a petition in the High Court through ad-

vocate Nikhil Bhandari that they are living in a live in relationship. But they expressed threat to life and property from Manisha's family members. High Court judge Justice Pushpendra Sin-gh Bhati gave the order of police protection for both of them.

AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED E-Tender Notice - AVVNL/SE/IT/TN-IT-SE

Raj Foundation Day to be held at Nairobi in Kenya on April 2, 2023

Jaipur: Dr Sonvee Singh, Founder and President of the Rajasthan Association of Kenya, had an infor-mal meeting with Commissioner, Rajasthan Foundation. Dhiraj Srivastava at Yojna Bhawan in Jaipur on

Friday.
Dr Singh informed Srivastava about the celebration of Ra-jasthan Foundation Day on April 2, 2023, in Nairobi city of Kenya He informally invited CM Ashok Geblot, In-



dustry and Commerce Minister, Shakuntala Rawat, Rajasthan Foundation Commis sioner and other senior officials of the govern-

ment to attend the col-

ebration

Srivastava said that Rajasthan Foundation is working with the objective of connecting migrant Rajastbanis with their motherland

vision and aim of the

CM Ashok Gehlot. Keeping this object tive in mind, Rajasthan Foundation is expanding its reach in Europe, the US, the UK, Dubai, Kenya and other coun-tries where migrant Rajasthanis are employed in large num-

Dr Singh said that on the occasion of Raj Foundation Day, Rajasthanis living in Kenya would be dressed in traditional safas and Rajasthani folk music





राजस्थान सरकार वन विभाग

जयपुर दिनांक : 22 FEB 2022

क्रभांकः प. 1 (6) वन/2022 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (॥०೯೯) राजस्थान, जयपुर।

> Diversion of 0.6926 has forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhonu (Rajasthan) (FP/RJ/ IRRIG/122392/2021)

संदर्भः- आपका पत्रांक एफ 14 (466/40)2021 / एकसीए / प्रमुखस / 3680 दिनांक 16.12.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्गित प्रस्ताव में किमारावि अधिकारी, नगर परिषद झुन्झुनू द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में बन और औप के लिए एस.टी.पी. उपचारित पानी के एनः उपयोग के लिए बीड क्षेत्र में यू.पी.वी.सी. पाईप लाइन बिछाने हेतु 0.6926 हेक्ट्यर बन भूम प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी बन संरक्षण अधिनयम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोगरान्त प्रस्ताव पर वन संस्थान अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा -2 में सामान्य स्वीकृति बावत जारी दिशा-िरहेशों के परिभेश्य में Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of Pipe Line From STP to Along SH 8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District- Jhunjimmu (Raja dian) की सेद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान करती है

- वन भृभि को दीधानिक स्थिति में कोई प्राथ्यतीन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूभि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एगं रख रखान के दीरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने कर्न को गृथीं जन विभाग की जिना पुर्वानुगति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्त होने पर चन विभाग के होंगे।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / जनशेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य में -दौरान रणल पर कार्यरत मजदूरों / स्टाफ को रसोई मैस / केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती बनों को धारा न हो।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन 🖟 🕏 अतिरिक्त आस-पाम की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जानेगा
- Nagar Parishad Jhunjlumu will provide free of cost STP water for the plants of Beed Jhunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Jhunjhunu
- 9. The User agency will leave T Points at every Kilometer of pipeline for getting STP water of the Plants.
- 10. Treated water of STP will be used for plants and nursery in beed Jhunjhunu Conservation Reserve (Total Area 1047.48 ha.)
- 11. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीवृत्त की पालना के साथ एफ.आर.ए. सिटिर्फिकेट प्रस्तत करावेगा। ग्रदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- 12. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- 13. प्रयोकता अभिकरण के व्यय पर तन िपाग द्वारा शून्य से 10 वृश्तों का पातन होने पर 100 वृश्तों तथा 10 से अधिक वृश्तों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले गुर्थो का दस गुना संख्या में गुशों का वृशारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमा। त्याँ को समाहित करते हुवे राशि वेब पोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
- 14. प्रयोवता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चाम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई ए संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 /2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010 - CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसम भूद वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुन्द वर्तमान मृल्य तथा दृग्यी सभी निभियां प्रतिपूर्ति पौभारोपण निभि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा मृजित 🎋 चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनगशि का बैंक चालान / यूटीआर राम्या / प्तर्रएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदबार निमरण हो) प्रेपित की जाए तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- 15. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वर्ग ।गाइता प्रभाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षप स्तर से गाँद एन.पी.वी. की दर्धे में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण प्रारा विसमानुसार जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति ात प्रतीयन संस्थित क्षेत्रीय कार्यातय, बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- 17. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2017 एएकी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को भारत स्वकार के पत्रक 7-23/2017 वर्षणका हैताक 24,07,2013 से माननाथ ग्रान हिब्बुलन होता (देनक 07.11.2012 का प्राप्ति विशेष की पत्रकार में राजिशना की जाने तथा प्रकारण में प्राप्त स्वीकृति को यूनर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकृष्टिक देने वाले एक-एक समाचार 'च में अवराष्ट्र प्रकृष्टिक करायें एवं जारी स्त्रीकृति की प्रतियां स्थानीय निकास, पंचायत एवं प्रकृष्टिक के युक्त वे अधिकारियों जो स्थीन बिक्त के स्वाप्त प्रकृष्टिक करते उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।







BSF, PAKISTAN RANGERS FIRE ON BORDER

Sri Ganganagar: There were reports of firing on Indo-Pak International border on Friday evening. The Pak Rangers fired after seeing the farmers who had gone to do farming across the border. The BSF jawans also fired BSF jawans fired at Binjore post. On the informa-tion of BSF, the police left for the spot. There was no casually. According to the police, some farmers usually no across the horder for farming. Sceing them on Friday, the Pak rangers fired.

SAFFLY RESCUED AT NAHARGARH Jalour: A panther

Jamwaraingarh and brought to grescue center Biological Rarly of died. The partition was rescued from Jamwaramgarh tehsil, tranquilized and brought to the rescue centre in injured condition Panther's postmor tem and cremation will be done. The staff said that the panther had suffered grievous injuries and succumbed

the best treatment

given to it

Two of a marriage party die as SUV overturns on Barmer highway

Barmer: Two passengers of a Scorpio were killed after the vehicle got overturned on Barmer-Chohtan highway The accident took place on Friday late evening. Vehicle was part of a marriage procession. In the incident four others got injured. The de-



victim and injured travelled.

ceased were identified as Chetanram Meghwal (55) and Jogendra Charan (26) both resident of Aalamsar village. On getting informed po-lice reached at the spot. Anil Kumar Bishnoi,

station house officer at Sadar police station confirmed the report. The police said that around six people were travelling in the Scor-



बिंड आमंत्रण सूचनाे

बिह संख्या - अ.अ. एवं त.स.नि. अ.-॥/३७/२०२२-२३


g.	योग	पूर्वाम्त ४.	कार्च सांग (शाक्षां में)	प्रमाणीयः कृति विक्रीण व्यक्तिकृति	न्यार्थ कर्त ग्राह्मीत	Allyn Defn
1.	1887, 1884 - X	JDA222JWSCHOUSIS	140.17	255/7072-23	सम्बद्धाः वर्षान्तिकातः वर्षान् ।	19.12.7622
2.	Mig. 10/42-2	JDA2223W5RC00328	40.08	310/2022-23	क्षण्या स्टब्स् सीता स्था विकास स्थानी	19.12.2022
į.	afn.ufna	J0A22238V50369527	103.23	274-2022-23	सद्ग्रहणभी कितन गृहें विश्वीम कर्ता ।	19.12.2522
4.	अधि सचि:-३व्	JDA2223WSC904512	91,98	293:2022-23	की सी, सङ्क पूर्व जन्में कर विश्वीप, कर्ज ।	19.17.2022
5	alfa afur - 29	:DA2223V/SCE00533	118.32	287/2022-23	कारक रजीवीयारण करवे।	19.12.2022
6.	अधि और : उप	3DA2223WSO860515	34,89	281/2922-23	र्थंच विशेषकार्थः।	19 17 2022
7	अर्थय अर्थितः ह	JDA2223WS0809529	119 42	284/2927-23	ाम _क ्षा राजीनीका च कर्य क	21.572022
8.	after after on	DA2223W508 151	67.76	234/2022-23	सङ्ग नक्षेत्रीकरण कर्य।	16 12 2922
9.	mfit sifts. 7	:DAZZZOWSOZODIO	16.91	307/2012 23	महत्त्व का निर्माण करते।	21.12.2522
10	ulia misi. 7	JDA2223WS0898330	E01	309/2022-23	इन्द्रभागीक्षण-वर्गाह रामानं का भार्ज ।	25,12,2022
11.	अधिकारिक	JDA2221WSC 08528	73.00	315/2022 23	य इन्ह का दिलांग गार्थ र	19.12.2022
12.	maxin-10	JBA2223WEQ 1005 A	17.44	270/2022-23	गाइक गर्वाचीक्षर व्यक्ती	19.12.2022
13.	มถึง เก็น-10	DAZZZIWSO9 53	105.80	274-2022-23	शी.मी. सन्स गो किसमान्यकी।	19.17.2022
18.	अस्ति स्थाप । १३	.DA2221WSUBD 531	17.33	249-7022-23	arys au finiremais	25.12.2022
15.	अर्थिक असीव - 14	JDA2223WSQD0 622	54.00	11770000	क्रद्रक का विवाद कर्षे ।	21.17 2922
15.	भारतान ग्र	SOAZUZANSBA STE	Esm S	293/2052-23	भी हो। सदक सुन्द्र हो प्रत्य महा की तो. सदक का भिन्नीय आई।	21.12.2022
17.	alli allu, ri	J-hA2223W35701575	105.00	29*12022-23	भी हो। पूर्व स्वीकेट गहार व्ये क्वी नीवरण पूर्व गहारीकरण पार सार्व ।	25.12 2622
18.	आधि,श्रीव, इस्पानिन्त्रसम्	JDA2221WLOGOS17	4100.00	2211202293	Treatment Plant of 20 MLD Capacity	H212773

निष्या का विस्तृत निर्माण स्थापन परित्न years spip musikan govin leves epide missikan govin म्हा स्थापन स्थापनी का विस्तृत निर्माण स्थापन परित्न years के स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन

अविभागों अधिक म

अधिशाषी अभियता भवदीय. (बी, प्रवीण)





क्रमांकः प. 1 (6) बन∠2022 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर। जयपुर, दिनांक : 22.02.2022

15章

विषय:- Diversion of 0.6926 ha. forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes

Near by Villages at District- Jhunjhunu (Rajasthan) (FP/RJ/IRRIG/122392/2021)

• संदर्भ :- आपका पत्रांक एफ 14 (466/40)2021/एफसीए/जमुबस/ 3680 दिनांक 16,12,2021

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्ग संदर्भित प्रस्ताव में अधिशार्षा अधिकारी, नगर परिषद झुन्झुनुं ह्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन और कृषि के लिए एस.टो.पी. उपचारित पानी के पुनः उपयोग के लिए बीड क्षेत्र में यू पी.वी.सी. पाईप लाईन विछानु हेतु 0,6926 हेक्ट्यर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारेपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति वाबत जारी दिशा-निदेशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.6926 ha forest land in favour of Municipal Council Jhunjhunu for Laying of pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan) की संद्रान्तिक स्वीकृति विना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न प्रार्तो के अध्यधीन प्रदन्न करती है:-

- बन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा।
- याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षीत नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किए जाएंगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में ग्रंपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की विना पूर्वानुमित के नहीं काटा हाए। उन्ह क्षेत्र में ग्रंपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आसपास मजद्रों/स्टाफके लिए किसी भी प्रकार का कॅप नहीं लगाया जावेगा।
- ७. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरात स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई मेंस/ करोसिन तेल आपूर्ति को जाएगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास को वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिन्दी/पत्थर कार्टन या भरने कार्य नहीं किया जावेगा।

Nagar Parishan Jhunjhurk will provide free of cost STP water for the plant of Beed Hold Jhunjhunu Conservation Reserve as per requirement of forest department Jhunjhunu.

9. The User agency will leave T Points at every Kilometer of pipeline for getting STP water of the Plants.

10. Treated water of STP will be used for plants and nursery in beed Jhunjhunu Conservation Reserve (Total Area 1047.48 ha.)

11.प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धांतिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सिटिफिकेट प्रस्तुन करावेगा। तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

12. प्रयोवता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानुनं तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

13. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दर्शों को समाहित करते हुये राशि वेवपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring Of Forest & Wildlife Clearence Portal) द्वारा सृजित इं-चालान द्वारा जमा की जायेगी।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आईए संख्या 566 एवं भारत सरकार के प्रत्र संख्या 5-3/2007-एफ सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए अदिशानुसार शुद्ध वर्तमान मृल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरांकत अनुदर्शों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मृल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपृति पौधारोपण निधि प्रवंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेवपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का वैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सिहत सैद्धांतिक स्वोकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा को गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

15 प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनयद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोवता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।

16.राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमित का प्रवोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

17.भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिंग्यूनल हारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जांचें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकास, पंचायत एवं नगरमाशिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय (बी. प्रवीण) शासन सचिव

मुख्यमधी अनुप्रति कोतिन योजना

निक्तिआवेदनों में आक्षेपों की पूर्ति कर 15 दिसंबर तक भिजवाएं

The property of the second sec

P\$30



Status of the Payment made by User Agencies

□ Help

Click on Proposal No. to view Detail of proposal. Click on Demand letter to view Uploaded demand letter.

CA: Compensatory Afforestation; Addl CA: Additional Compensatory Afforestation; PCA: Penal Compensatory Afforestation; CAT: Catchment Area Treatment; Addl PA: Additional Charges for protected area; NPV: Net Present Value;

To be Verified Verified

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the payment yet to be made.

: This icon shows that the challan has been generated. : This icon shows that the payment has been made.

@Proposals received on or after 15th July 2014 OAll Proposals received upto 14th July 2014

Select Region: Select State : Select User Agency : ●Paid ○Unpaid ○All Payment Status : Bank Name : Transaction Date (From) : Transaction Date (To): Enter value for Search: 122392

SEARCH

					X de
5no.:Proposal Detail	PRINCIPLE	(in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/RJ/IRRIG/122392/2021 (/viewreport.aspx? pid=FP/RJ/IRRIG/122392/2021 Laying of Pipe Line From STP to Along SH_8 and Soti Road in Beed Jhunjhunu used by Agricultural Proposes Near by Villages at District-Jhunjhunu (Rajasthan)		CA: 49858/- Addl 0/- CA: / CA 1/- CA 1/- CAT 0/- : Safety 0/- , Addl 0/- PA : NPV: 663359/- Total :713217/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of NEFT/RTG Payment (Challan Challan On Transaction 05 Dec Date 2022 Date 2022 Date 2022 Date 2022 Date 2022 Date 2022 Date 2022 Date 2022 Date 2022 Date	

india.gov.in (HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

GOV (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)

(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)

(HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)